न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :— 06 / 2023
निर्णय दिनांक :— 23.01.2024
बइजलास :— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. जयनारायण पुत्र स्वर्गीय रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम केरिया तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थी

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :— श्री गोपाल लाल चौधरी वकील प्रार्थी
पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती किये जाने तरमीम आबादी

निर्णय   दिनांक :— 23.01.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम केरिया तहसील फागी में स्थित है जिसमें खसरा नंबर 366 में नक्शा लट्ठा अनुसार किसी प्रकार की कोई तरमीम मौके पर पूर्व में नहीं थी उसके ऊपर केवल मात्र खसरा नंसरा 348 मीन था जिसके जिसमें कदीमी काल से किसी प्रकार की कोई तरमीम मौके पर नक्शे पर नहीं की गई मौके पर प्रार्थी ही काबिज होकर खेती करता है। खसरा नं. 366 बाबत प्रार्थी द्वारा दिनांक 02.03.2020 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार महोदय को प्रस्तुत किया गया निवेदन किया कि कुछ भूमाफिया लोगो द्वारा खसरा नंबर 366 की अवैध वह अनुचित रूप से सेटेलाइट से तरमीम करवाना चाहते हैं जबकि प्रार्थी आदिकाल से ही मौके पर कब्जा अनुसार खसरा नंबर 366 पर काबिज है वर्तमान में खसरा नंबर 366 के खसरा नंबर 366 / 6, 366 / 5 स्थित है खसरा नंबर 366 / 6, 366 / 8 सरकारी भूमि गैर मुमकिन खारड़ा स्थित है खसरा नंबर 366 / 6, 366 / 8 में कुल रकबा में से करीबन 5 बीघा भूमि में प्रार्थी का कदीमी काल से ही कब्जा काश्त रहा है और दिनांक 22.01.2001 को उप तहसीलदार महोदय द्वारा जारी नोटिस से भी ताइद होती है। पूर्व में खसरा नंबर 366 / 1 का पूर्ववर्ती नक्शा जिसे बजरंग लाल पुत्र लक्ष्मण के नाम से प्रस्तुत रहा है वह पूर्णत सही था परंतु वर्तमान नक्शा गलत होंने से काफी परेशानी हो रही है। प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन खसरा नंबर 366 में गलत तरमीम के बाबत तो उस पर जानकारी प्राप्त हुई कि दिनांक 22.01.2021, 28.07. 2020 की मौका रिपोर्ट मांगी थी उस पर प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त दिनांक को

लगातार.......................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी

किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की गई जानकारी प्राप्त हुई जिससे भी पूर्णतया साबित है कि कुछ भूमाफिया लोगों द्वारा प्रार्थी को हैरान परेशान करने की गरज से गलत रूप से कार्यवाही करवाने पर आमादा है कानूनन उनको रोका जाना उचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि आराजी खसरा नंबर 366/4 और 304/5 के भूमि खसरा नंबर 366/6, 366/8 गैर मुमकिन खारडा स्थित है जिसमें प्रार्थी के पुख्ता मकान व बिजली के कनेक्शन एवं पुख्ता कुआं स्थित है जिसकी तरमीम गलत रूप से करते हुए खसरा नंबर 366/1 के खातेदार गजानंद, जगदीश, बजरंग, सीताराम, रामसहाय, हनुमान पुत्र लक्ष्मण महावीर पुत्र तेजपाल जाति खटीक के हक में कर दी गई है जो गलत तरमीम है जिसे दुरूस्त किया जाना न्याय हित में आवष्यक है तरमीम मात्र नक्शे में ही की गई है केवल मात्र नक्शे में गलत अंकन के आधार पर मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे मौके पर कब्जा अनुसार दुरूस्त किया जाना न्याय हित में उचित एवं आवश्यक है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार दिनांक 27.01.2021 को प्रार्थी की भूमि बाबत रिपोर्ट तैयार की गई कब्जा अनुसार रंग भरे गए और विवाद की स्थिति ना हो परंतु किसी प्रकार का कोई हल नहीं निकला प्रार्थी ने तहसीलदार महोदय के समक्ष कई बार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया परंतु उन्होंने किसी प्रकार का कोई जवाब प्रार्थी को नहीं दिया इसलिए तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित एवं आवश्यक है। उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से नक्शा में दुरूस्त किए जाने का पूर्ण अधिकार श्रीमान को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार फागी ने जबाव में बताया कि ग्राम कैरिया के आराजी खसरा नं. 366 व 348 के नक्शा लट्ठा में किसी प्रकार की तरमीम नहीं थी। राज्य सरकार की डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के तहत वर्तमान नक्शा शीट में तरमीम हुई है। खसरा नं. 366/4 व 366/5 जयनारायण पुत्र रामकरण, भूरी पत्नी जयनारायण जाति जाट सा. देह एवं खसरा नं. 366/1 गजानन्द, जगदीश, बजरंग, रामसहाय, सीताराम, हनुमान पुत्र लछमण एवं महावीर पुत्र तेजपाल जाति खटीक सा. डिडावता के नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है तथा खसरा 366/6 किस्म गैर मुमकिन खारड़ा व खसरा नं. 366/8 किस्म बंजड 1 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवायचक खाते में दर्ज है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 05.12.2024 के अनुसार खसरा 366/6 किस्म गैर मुमकिन खारड़ा पर चतुर्भुज, रामराय, रामचन्द्र पुत्र जोधा जाति जाट सा. देह तथा बद्री पुत्र घासी जाति जाट सा. देह, रामदेव पुत्र मन्ना जाति जाट सा. देह देशराज पुत्र बजरंग जाति जाट सा. देह, रामदेव पुत्र

लगातार....................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी

(3)

मन्ना जाति जाट सा. देह वगै. द्वारा मौके पर फसल बोई हुई है। जबकि वादी का कब्जा 366 / 1 पर होकर वादी खसरा नं. 366 / 1 (जहां वादी का कब्जा है) व ख0नं0 366 / 6 की तरमीम परस्पर बदलवाना चाहता है।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण नक्शा — दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे ख0न0 366 / 1 पर अपना कब्जा होना बताया जबकि राजस्व रिकार्ड मे ख0न0 366 / 1 गजानन्द, जगदीश, बजरंग, महावीर, रामसहाय, सीताराम, हनुमान पुत्रान लक्ष्मण जातियान खटीक सा0 डीडावता के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार फागी ने अपने जबाब मे बताया है कि पूर्व मे उक्त विवादग्रस्त आराजी ख0न0 366 व 348 की तरमीम नही हो रखी थी। राज्य सरकार द्वारा डी0आई0एल0आर0एम0पी0 के तहत उक्त आराजी की तरमीम हुई है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे केवल तहसीलदार फागी को पक्षकार कायम किया गया है जबकि प्रार्थी को अपने पडौसी खातेदारान को भी पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक था। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे साबित हो की प्रार्थी ख0न0 366 / 1 के स्थान पर काबिज काश्त है। उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व करने पर पुर्णत असफल रहे है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नक्शा दुरूस्ती खारिज किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नक्शा दुरूस्ती खारिज किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को सरे इजलास सुनाया जाता है

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी